न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 73/2012 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. रामभरोसी } पिसरान मोतीराम जाति बघेला निवासी ग्राम बरखेडा तहसील सैपऊ, धौलपुर।
2. सोनेराम }

.....अपीलांट।

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत पुरैनी पंचायत समिति धौलपुर।
2. राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दिनांक 20.04.2012 मि.नं. 47/2012 उनवानी रामभरोसी बनाम ग्राम पंचायत पुरैनी।

उपस्थितिः–

1. श्री योगेश शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र सिंह राणा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक–16.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादीगण ने एक दावा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 108 रकवा 02 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम बरखेडा को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 09.07.2001 को अपीलाण्ट/वादीगण ने क्रय किया था एवं तभी से वह उक्त आराजी खसरा नम्बर का काबिज खातेदार काश्तकार है। माह जून 2002 को रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 ने ग्राम बरखेडा में राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त कर मेडकी नामक नदी को रोक कर, एक ऐनीकट बनाया है। जिससे इस वर्ष पानी अपीलाण्ट/वादी की खातेदारी व कब्जे वाली आराजी खसरा नम्बर 108 में भारी मात्रा में इकट्ठा हो गया। फलस्वरूप अपीलाण्ट/वादीगण को अवैध रूप से बेकब्जा कर दिया गया। अतः वाद प्रस्तुत कर अपीलाण्ट को 01 लाख 70 हजार रूपये मय कीमत जमीन एवं उस पर लगाये गये खरीद के स्टाम्प तथा खर्चा वयनामा 20000, एवं इस वर्ष की फसल क्षति कुल 01 लाख 90 हजार रूपये, उपरोक्त आराजी की क्षतिपूर्ति राशि, रैस्पो0/प्रतिवादीगण से दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात पर गौर ना करके कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 02.03.2012 में स्पष्ट अंकित है कि एनीकेट निर्माण की वजह से खसरा नम्बर 108 रकवा 02 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम बरखेडा में मौके पर काफी गहराई में पानी भरा हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को दावा डिक्री किया जाना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिर्पोट की ओर गौर ना करते हुए, दावा अपीलाण्ट/वादीगण खारिज करने में भूल की है। अपने तर्को के समर्थन में आर0आर0टी0 2012(2) पेज 904 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए, क्षतिपूर्ति राशि प्रदान कराये जाने का निवेदन किया

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि एनीकेट राजकीय भूमि में बनाया गया है। एनीकेट निर्माण के समय किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी। एनीकेट राज्य सरकार के आदेशो की पालना में जनहित में निर्माण किया गया है। अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि से उक्त एनीकेट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित तीन तनकियॉ कायम की गई हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. तनकी संख्या 01 '' आया वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं और उनकी खातेदारी भूमि में प्रतिवादी द्वारा अनानिधकृत रूप से एनीकट बनाया गया है'' उक्त तनकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वहक आंशिक रूप से वादीगण एवं प्रतिवादीगण तय की गयी है। जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।

7. तनकी संख्या 02 '' आया कराया गया एनीकट निर्माण सरकारी जमीन पर है, जो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुये बनाया गया है तथा वादी को कोई क्षति नहीं हुई है '' यह तनकी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने वहक प्रतिवादी तय की है। सम्यक विवेचना करने पर हम पाते हैं, इस तनकी के दो हिस्से हैं :–

   (अ) **एनीकट सरकारी भूमि पर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुये बनाया गया है,** अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही, निसन्देह वहक प्रतिवादी तय की है। किन्तु इस तनकी का दूसरा हिस्सा निम्नानुसार है :–

   (ब) **वादी को कोई क्षति नहीं हुई है,** तहसीलदार की मौका रिपोर्ट क्रंमाक 270 दिनांक 02.03.2012 में अंकित है कि खरीफ की फसल काश्त नहीं होती है। उक्त रिपोर्ट के रहते हम अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी निष्कर्ष को उचित नहीं समझते हैं। एनीकट बनने के कारण वादी को काश्त से वंचित रहना, उसको क्षति पॅहुचाता है। अतः यह अपेक्षित है, तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के होते हुए, यह तनकी पूर्णतः प्रतिवादी के पक्ष में क्यों तय नहीं की गई है, स्पष्ट करें।

8. अनुतोष :– यद्यपि अनुतोष, तनकियों के अन्तिम रूप से तय होने पर दिया जा सकता है तथापि अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष पर हम टिप्पणी समीचीन समझते हैं। राज्य सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा भूमि अवाप्ति नही की गई है एवं ना ही अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा भूमि समर्पण (Surrender) ही की गई है। विवादित भूमि अभी भी अपीलाण्ट के ही खाते में दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट/वादीगण को भूमिका पूरा मूल्य देय नहीं है अपितु मात्र काश्त ना कर पाने की क्षतिपूर्ति ही देय है। जिसके लिए निम्न बिन्दुओं का तय होना आवश्यक है।

- क्या एनीकट आज भी पूर्व की स्थिति में है व इसे बनाये रखना आवश्यक है एवं क्या अभी भी एनीकट की उपयोगिता है ?
- खसरा नम्बर 108 वाके ग्राम बरखेडा तहसील सैपऊ में एनिकट निर्णय उपरांत क्या प्रत्येक वर्ष पानी भरता है, जो काश्त में बाधक है ? पुष्टि हेतु खसरा गिरदावरी होनी चाहिए।
- एनीकट बनने के उपरान्त, अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा कितने वर्ष खरीफ/रवी की फसल प्राप्त की ? पुष्टि में गिरदावरी पेश होनी चाहिए।

अतः अपेक्षित है, अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त बिन्दुओं पर तनकी कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य का अवसर देवें।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2012 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए उक्त वर्णित बिन्दुओं की पूर्ण जॉच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें एवं यथासंभव **प्रकरण को लोक अदालत की भावना** से निस्तारण करने का प्रयास करें। उभयपक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.12.2017 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर